

“Level in pay matrix
(4)
Level 2 (Rs.19,990-63,200)”;

(b) in column (11),-

(i) under the sub-heading “Promotion” for the words, letters and figures “ the PB-I, Rs.5200-20200) + Grade Pay of Rs.1800”, the words, brackets and figures “Level 1 (Rs.18,000-53,900) in the pay matrix” shall be substituted;

(ii) “Note 1” shall be omitted.

[F. No. A-12018/3/2009-E-II]

RAM CHANDRA, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R , 87, dated the 29<sup>th</sup> April, 2014 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section(i), dated the 3<sup>rd</sup> May, 2014.

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

**सा.का.नि. 177.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1975 को, जहां तक उनका संबंध चर्म प्रसाधक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में चर्म प्रसाधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, चर्म प्रसाधक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावृद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**- वह व्यक्ति,-

(क) जिमने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू म्द्रीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संपन्न लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चर्म प्रसाधक	*04 (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिबीय	वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 ₹0) में स्तर 6	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिकीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
<b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान में बी० एस्० सी० की डिग्री; और (ii) प्राणी विज्ञान नमूने जैसे पक्षियों, स्तनधारियों, आदि चर्म शोधन और दर्शक दीर्घा प्रदर्शन के लिए मढ़ने के संग्रहण के क्षेत्र में सरकारी मान्यताप्राप्त संगठन या संस्थान से तथा चर्मशोधक मढ़े नमूने प्रदर्शक वस्तुओं; चमाज्यों आदि के माधारण अनुरक्षण देखरेख के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष।

<p><b>वांछनीय:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में संग्रहालय-विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता केंद्रीय सरकार या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्रीय सरकार या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>		
---	--	--

<p>भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता</p>	<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>
(10)	(11)
<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p><b>टिप्पण -</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी छुट्टी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी-</p> <p>(क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गये अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
(12)	(13)
<p><b>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b></p> <p>1. निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - अध्यक्ष</p> <p>2. वैज्ञानिक 'ग' या 'घ', राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य</p> <p>3. अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

4. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य	
---	--

[फा.सं. 4(27)/2016-17/एनएमएनएच/प्रशा.]

एन. त्यागराजन, अवर सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

New Delhi, the 14th June, 2018

**G.S.R. 177.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Science and Technology, Natural History Museum (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Taxidermist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Taxidermist in the National Museum of Natural History, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, Taxidermist, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taxidermist	*04 (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6, (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Not applicable	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit

					shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) B.Sc. Degree in Zoology from a recognised University; and two years' experience as a Taxidermist from a Government recognised Organisation or Institute in the field of collection of Zoological specimens such as birds, mammals, etc., skinning and mounting thereof for Gallery display and looking after general maintenance of mounted specimens, exhibits, skins, etc..</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Degree or Diploma in Museology from a recognised University.</p> <p><b>Note 1:</b> The qualification is relaxable at the discretion of the Central Government or Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government or Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government or Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable	Two years

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
--	--

(10)	(11)
<p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.—</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>(The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:—</b></p> <p>1. Director, National Museum of Natural History – Chairman;</p> <p>2. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member;</p> <p>3. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member;</p> <p>4. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.</p>	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 4(27)/2016-17/NMNH/Admin.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

**सा.का.नि. 178.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 1992 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।